

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2022—भाद्र 25, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2022

क्र. ई-1-131-2022-5-एक.—मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2021 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला
(1)	(2)	(3)
1	श्री अर्थ जैन	मण्डला
2	सुश्री वैशाली जैन	छिन्दवाड़ा

(1)	(2)	(3)
3	श्री दिव्यांशु चौधरी	बैतूल
4	श्री सृजन वर्मा	नीमच
5	सुश्री अर्चना कुमारी	विदिशा
6	श्री अरविन्द कुमार शाह	शिवपुरी
7	श्री शिवम प्रजापति	धार
8	श्री टी. प्रतीक राव	देवास

(2) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद दिनांक 19 अगस्त 2022 को अपरान्ह में कार्यमुक्त होने पर कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग करने के उपरान्त पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2022

क्र. ई-1-143-2022-5-एक.—श्री आशीष तिवारी, भाप्रसे (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर को

4391

अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन), ग्वालियर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2022

क्र. ई-1-148-2022-5-एक.—श्री संजीव कुमार झा, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आनन्द विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे (1990), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह एवं जेल विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022

क्र. ई-1-104-2022-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे (2003) आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को Brandeis University, USA से Master in Conflict Resolution Course किये जाने हेतु दिनांक 19 अगस्त 2022 से 31 दिसम्बर 2023 तक एक्स इंडिया अध्ययन अवकाश (Study Leave) की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप डॉ. संजय गोयल, भाप्रसे (2003), प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2022

क्र. ई-1-158-2022-5-एक.—श्री जॉन किंग्सली ए. आर., भाप्रसे (2004), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग घोषित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2022

क्र. ई-1-244-2016-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2022 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भा. प्र. से. (SK:2007) की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप उन्हें उनके मूल कॉडर सिविकम में कार्यभार ग्रहण करने के लिए

दिनांक 31 मई 2022 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया गया है। साथ ही भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14017-06-2017-AIS-II, दिनांक 9 फरवरी 2018 के अंतर्गत श्री जितेन्द्र सिंह राजे को दिनांक 1 जून से 30 जुलाई 2022 तक 60 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

(2) श्री जितेन्द्र सिंह राजे (SK:2007) द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2022 को पूर्वान्ह में सिविकम संवर्ग में ज्वाइन किये जाने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 1 जून से 14 जुलाई 2022 तक 44 दिन का संशोधित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही उन्हें दिनांक 31 जुलाई 2022 की स्थिति में अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (LPC) की करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2022

क्र. ई-1-76-2022-5-एक.—श्री अजय देव, भाप्रसे (MP:2014), अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के ओ. एम. क्रमांक 19016-1-87-Estt. (A), दिनांक 12 मार्च, 1987 में निहित प्रावधान अनुसार "श्री अजय देव (AJAY DEV)" का नाम परिवर्तन कर अब "श्री अजय देव शर्मा (AJAY DEO SHARMA)" दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार सभी कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए अब उन्हें "श्री अजय देव शर्मा (AJAY DEO SHARMA)" नाम से जाना जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2022

क्र. एफ 1 (ए)393-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, (को-आपरेटिव फ्राड/लोसेगा), पु. मु., भोपाल को गृह नगर अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 12 से 16 सितम्बर 2022 तक पाँच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 11 व 17-18 सितम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले गृह नगर भुवनेश्वर (उड़ीसा) जाने की अनुमति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, (को-आपरेटिव फ़ाड/लोसेगा), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2022

फा. क्र. 3706-2022-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उक्त पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड, छटवें जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डलेश्वर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में तथा इसके साथ वे माह में 7 दिन के लिए कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी में श्रृंखला न्यायालय का आयोजित भी करेंगी.
2.	श्री सुरेश चन्द्र पाल, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना की हैसियत से रिक्त पद पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2022

फा. क्र. 3705-इक्कीस-ब-(एक) 2022.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 (ई)-17-2016-इक्कीस-ब (एक) -2311/19, दिनांक 5 अप्रैल 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, व्यवहार न्यायाधीश स्तर पर, सारणी में, सरल क्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्र.	स्थान	न्यायिक अधिकारी का नाम (सिविल न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)
“2	भोपाल	श्री लोकेश तारन, अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भोपाल”;

F. No. 3705--XXI-B (1)-2022.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts, Act, 2015 (No. 4 of 2016), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. 17(E)17-2016-XXI-B(1) 2311-2019, dated 04th May 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette part I, dated 17th May 2019, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table for Civil Judge Level, for serial numbers 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Place	Name of the Judicial Officers (Civil Judge Level)
(1)	(2)	(3)
"2	Bhopal	Shri Lokesh Taran, XVIII th Civil Judge, Senior Division, Bhopal."

फा. क्र. 3761-2022-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री अवधेश कुमार सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, श्योपुर को, उनके आवेदन दिनांक 18 जुलाई 2022 के माध्यम से तीन माह पूर्व दी गई सूचना के फलस्वरूप, मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए लागू ऑल इण्डिया सर्विसेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) रूल्स, 1958 के नियम 16 (2-ए) सहपठित डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) रूल्स, 1964 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 26 अक्टूबर 2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करता है।

फा. क्र. 3709-इक्कीस-ब-(एक) 2022.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक) 13, दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"5.	श्रीमती साक्षी कपूर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, अशोकनगर.	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर."

F. No. 3709-XXI-B(1)-2022.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 5 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"5.	Smt. Sakshi Kapoor, 1st Additional Judge to 1st Civil Judge Junior Division, Ashoknagar.	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2022

पंजी क्र. 3138-2022-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा तहसील-बुढ़ार, जिला-शहडोल में विभागीय आदेश दिनांक 24 सितम्बर 1991 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री आत्माप्रसाद गुप्ता का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भट्टेले, अपर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2022

क्र. 6602-783407-2022-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पन्ना	पन्ना	श्री प्रीतम शाह, JMFC

No. 6602-783407-2022-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Panna	Panna	Shri Preetam Shah, JMFC

क्र. 6600-795016-2022-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उज्जैन	उज्जैन	श्रीमती शिवांगी श्रीवास्तव, JMFC

No. 6600-795016-2022-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ujjain	Ujjain	Smt. Shivangi Shrivastava, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कट्टेसारिया, उपसचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2022

क्र. एफ-1 (ए) 10-2022-बी-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी जिनका विवरण सारणी के कॉलम (2) में दिया गया है, की अनुपस्थिति के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा नामांकित किये जाने पर सारणी के कॉलम (3) के दर्शित अधिकारी को एवं कॉलम (2)

तथा (3) के अधिकारी अनुपस्थिति के दौरान सारणी के कॉलम (4) में दर्शित अधिकारी को लिंक अधिकारी नियुक्त करते हुए सारणी के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार नियुक्त करता है:—

सारणी

अनु. क्र.	अधिकारी का नाम	लिंक अधिकारी का नाम	अधिनियम की धाराएं	क्षेत्र	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
01	श्री बी. एस. सोलंकी, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, इंदौर संभाग, इन्दौर.	श्री दौलतराम सहरिया, (निरीक्षक) प्रभारी असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन.	श्री एम. जे. कुरैशी, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग, भोपाल एवं ग्वालियर चंबल संभाग (अतिरिक्त प्रभार).	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	इन्दौर संभाग, इन्दौर.
02	श्री दौलतराम सहरिया, (निरीक्षक) प्रभारी असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन.	श्री बी. एस. सोलंकी, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, इंदौर संभाग, इन्दौर.	श्री एम. जे. कुरैशी, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग, भोपाल एवं ग्वालियर चंबल संभाग (अतिरिक्त प्रभार).	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	उज्जैन संभाग, उज्जैन.
03	श्री एम. जे. कुरैशी, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, ग्वालियर चंबल संभाग (अतिरिक्त प्रभार).	श्री बी. एस. सोलंकी, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, इंदौर संभाग, इन्दौर.	श्री दौलतराम सहरिया, (निरीक्षक) प्रभारी असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	ग्वालियर संभाग, चंबल.
04	श्री अजय खरे, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग, सागर.	श्री अनिल पंडित, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा संभाग, रीवा.	श्री संजय तिवारी, (निरीक्षक) प्रभारी असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, जबलपुर संभाग, जबलपुर.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	सागर संभाग, सागर.
05	श्री संजय तिवारी, (निरीक्षक) प्रभारी असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, जबलपुर संभाग, जबलपुर.	श्री अजय खरे, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग, सागर.	श्री अनिल पंडित, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा संभाग, रीवा.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	जबलपुर संभाग, जबलपुर.
06	श्री अनिल पंडित, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा संभाग, रीवा.	श्री अजय खरे, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग, सागर.	श्री संजय तिवारी, (निरीक्षक) प्रभारी असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, जबलपुर संभाग, जबलपुर.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	रीवा संभाग, रीवा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07	श्री एम. जे. कुरैशी, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग, भोपाल	श्री संजय सीठा, (निरीक्षक) प्रभारी असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल नर्मदापुरम, संभाग, भोपाल.	श्रीमती मंगला पुरकाम, असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश मुख्यालय, भोपाल.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2022

क्र. एफ-1-7-22-रा.स.-यू.ए.1-1194.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति जी राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कृषि शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-

- | | | | |
|----|---|------------------|---|
| 1. | डॉ. नरेश चन्द्र गौतम
पूर्व कुलपति,
(महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय)
आगरा (उ. प्र.). | समिति के अध्यक्ष | कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित |
| 2. | डॉ. प्रकाश प्रभाकर शास्त्री,
सेवानिवृत्त डीन,
खण्डवा (म. प्र.). | समिति के सदस्य | विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा
निर्वाचित. |
| 3. | अपर मुख्य सचिव सह
कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश,
भोपाल (म. प्र.). | समिति के सदस्य | राज्य सरकार द्वारा नामांकित |

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. नरेश चन्द्र गौतम पूर्व कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 272-2022-रास-यू.ए.1, दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करेगी.

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, राज्यपाल के उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 18 मई 2022

पत्र क्र. 71-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	लिलौरी	0.320	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 73-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	फुटौंधा	0.120	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 75-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	खम्हरिया	0.600	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 77-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	पासी	0.195	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 79-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	पोइंधाकला	0.095	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 81-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	नीमी	0.150	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 83-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	बारीकला	0.995	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 85-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	पोइंधाखुर्द	0.150	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 87-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	पुरैनी	0.100	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 89-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	बरा खुर्द	0.510	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 91-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बड़खेर	0.415	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 93-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बहेरा	0.100	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 95-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	सलैया	0.030	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 97-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	सुजावल खुर्द	0.425	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 99-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	रेउहान	0.085	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 101-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	पटना खुर्द	0.025	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 103-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	तिघरा	0.090	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 105-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	माजन	1.015	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 107-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	हलिया कला	1.010	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 109-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बरा	8.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

छोटे सिंह, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय / भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज, जिला रायसेन

“आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” के तहत निजी भू-धारक की भूमि के क्रय का प्रस्ताव

गैरतगंज, दिनांक 26 जुलाई 2022

क्र. 398-री-2021.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की आपसी सहमति से क्रय नीति के तहत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा सिमरिया गुन्नौठा मार्ग (सिमरिया साईड) पर बोना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं भूमि को जल लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला	भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)	खसरा नं.	क्रय के लिए प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सिमरियाकलां	गैरतगंज	रायसेन	लक्ष्मण सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति गुर्जर पता बण्डोली (भू-स्वामी)	20/1 21/1, 22/1/1	0.1210
2	सिमरियाकलां	गैरतगंज	रायसेन	गोविन्द सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति गुर्जर पता बण्डोली (भू-स्वामी)	22/1/2	0.0810
						0.202

क्र. 399-री-2022.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की आपसी सहमति से क्रय नीति के तहत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा सिमरिया गुन्नौठा मार्ग पर नक्टा नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं भूमि को जल लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला	भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)	खसरा नं.	क्रय के लिए प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सिमरियाकलां	गैरतगंज	रायसेन	सरोजबाई बाई पुत्री मुंगाराम जाति चमार पता चन्दोनीगंज (भू-स्वामी)	24-25/1/1	0.0370
2	सिमरियाकलां	गैरतगंज	रायसेन	माधवसिंह पुत्र फुलसिंह जाति दांगी पता सिमरियाकलां (भू-स्वामी)	9	0.0370
3	सिमरियाकलां	गैरतगंज	रायसेन	शेलेन्द कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति दांगी पता सिमरियाकलां (भू-स्वामी)	28/2/3	0.042
4	सिमरियाकलां	गैरतगंज	रायसेन	प्रभुदयाल पुत्र खिलान जाति कोरी पता चान्दोनी गंज (भू-स्वामी) अहस्तांतरणीय	69/1/5	0.042
						0.158

क्र. 400-री-2021.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की आपसी सहमति से क्रय नीति के तहत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा सिमरिया गुन्नौठा मार्ग पर बवना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं भूमि को जल लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला	भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)	खसरा नं.	क्रय के लिए प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	देवरीगढ़ी	गैरतगंज	रायसेन	डालचन्द्र आ. मथुरा प्रसाद जाति पंजाबी पता सा. देह उडदमउ भू-स्वामी	4/5	0.104

क्र. 401-री-2021.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की आपसी सहमति से क्रय नीति के तहत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा सिमरिया गुन्नौठा मार्ग पर परासिया नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं भूमि को जल लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला	भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)	खसरा नं.	क्रय के लिए प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	परासिया	गैरतगंज	रायसेन	पप्पू कुरैशी पुत्र नूर कुरैशी जाति कसाई पता वार्ड नं. 7 गैरतगंज भू-राजस्व 0.62	79	0.0672
2	जैतपुर	गैरतगंज	रायसेन	विमलेश कुमार आ. सूरजसिंह जाति अहिर पता सा. देह भूमि स्वामी भू. रा. 0.84	120/2	0.0545
						0.1217

रवीश श्रीवास्तव, अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 29 जुलाई 2022

प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2021-22/ /भू-अर्जन/2022:- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में सम्मिलित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बान सुजारा बांध परियोजना के लिये राज्य सरकार को सम्बंधित विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, नहर जल संसाधन संभाग बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर, 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-12-2/2014 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर, 2014 की कण्डिका 11 (1) एवं (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर, 2014 की धारा-11 (1) एवं (2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(1) भूमि का विवरण:-

(क)	जिला-	छतरपुर
(ख)	तहसील-	घुवारा
(ग)	ग्राम-	सोरखी
(घ)	लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-	732.62 वर्ग मीटर

स. क्र.	कृषक का नाम	आबादी खसरा क्रमांक मेंसे	अर्जित रकवा वर्गमीटर में
1	श्रीमती जशोदाबाई बेवा प्रेमनारायण लोधी		93.35
2	श्री रम्मा पुत्र श्री गरुआ अहिरवार	960, 961,	103.73
3	श्री छक्की पुत्र चेंचू कुशवाहा	962, 967,	87.91
4	श्रीमती देवकी बेवा स्व० श्री मिचुआ कुशवाहा	977, 978	21.17
5	श्री पप्पू पुत्र श्री धरमुवा अहिरवार		194.58
6	श्रीमती मीराबाई पत्नि स्व० श्री मुन्नालाल, रश्मी, भारती, राधा पुत्री स्व० श्री मुन्नालाल विश्वकर्मा, अमित, मोनू पुत्र स्व० श्री मुन्नालाल विश्वकर्मा	810, 812/1, 812/2, 828, 829, 835	111.54
7	श्री कमलेश पुत्र श्री सुन्ना अहिरवार		21.45
8	श्री राजू पुत्र तातू अहिरवार	1178, 1179, 1182, 1407,	18.27
9	श्री हरचरन पुत्र तातू अहिरवार	1408, 1409/1, 1412, 1413	36.96
10	श्री संतोष पुत्र तातू अहिरवार		18.28
11	श्रीमती हलकियाबाई बेवा छुट्टी यादव	648/2, 650, 651, 652, 653	25.38
योग:-			732.62 व.मी.

(2) कार्यपालन यंत्री, बान सुजारा बांध परियोजना नहर जल संसाधन संभाग बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म०प्र० को बान सुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बड़ामलहरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 25-अ-82-2021-22-भू-अर्जन-22-6125

सागर, दिनांक 17 अगस्त 2022

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि को सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजना माईनर नहर निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : देवरी
 3. ग्राम : फतेहपुर
 4. पट. ह. नं.- : 08
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.690

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खं0 नं0	कुल रकवा	अर्जित रकवा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	रिमार्क
1	देवी वल्द गिरधारी, राजबाई, बेनीबाई पुत्री गिरधारी, गुलाबरानी देवा गिरधारी, इन्दुर वाली हेमराज दिन्नु, हल्से पिता अनन्तसींग, गुड्डी, दशोदा पुत्री अनन्तसींग, राजरानी देवा अनन्तसींग, सियारानी देवा खेतसींग, मेना मालती पुत्री खेतसींग, परभू मोहन परभोत्तम, रज्जू पिता खेतसींग, खेमाबाई देवा दुर्ग, गजेन्द्र, ओमप्रकाश पिता दुर्ग साकिन देह	भूमिस्वामी	70	1.72	0.18	निरंक	सिंचित ख नं 70 स्वयं के कुआ से	
2	अमित कुमार वल्द रमेश कुमार साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	71/1	0.88	0.11	निरंक	सिंचित ख नं 152 मौजा सरखेड़ा स्वयं के कुआ से	
3	रामदास वल्द भुवानी प्रसाद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	74	0.42	0.06	निरंक	सिंचित ख नं 56/4 मौजा गंगवारा स्वयं के बोरवेल से	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	भुवानी वल्द गुलाबसींग साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	75	0.88	0.08	निरंक	सिंचित ख न 56/4 मौजा गंगवारा पिता के बोरवेल से
5	देवी वल्द गिरधारी, राजबाई, बेनीबाई पुत्री गिरधारी, गुलाबरानी देवा गिरधारी, बलराम पिता मुन्ना, हेमराज दिन्नु इन्दुर वाली हल्ले पिता अनन्तसींग, गुड्डी, दधोदा पुत्री अनन्तसींग, राजरानी देवा अनन्तसींग साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	76/1	0.89	0.07	निरंक	असिंचित
6	कैलाषचंद वल्द सुम्भरचंद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	76/2	0.44	0.05	निरंक	सिंचित ख न 76/2 स्वयं के कुआ से
7	सियारानी देवा खेतसींग मैना मालती पुत्री खेतसींग परमु मोहन, परशोत्तम रज्जू पिता खेतसींग, खेमाबाई देवा दुर्गा, अशोक कुमार वल्द मुलामचंद, भुवानीप्रसाद वल्द गुलाबसींग साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	77	1.46	0.10	निरंक	असिंचित
8	नारायण श्रीराम, काशीराम पिता तुलसीराम, भारीबहू देवा तुलसीराम, बूजरानी देवा गुलाबसींग कुन्दनसींग गुवली पिता तुलसीराम, प्यारीबाई पुत्री गुलाबसींग साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	78	0.06	0.03	निरंक	असिंचित
9	काशीनाथ वल्द विष्णुनाथ साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	79	1.65	0.01	निरंक	असिंचित
योग:-			9	9.21	0.69		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 19/9/22 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 27-अ-82-2021-22-भू-अर्जन-22-6407

सागर, दिनांक 30 जुलाई/अगस्त 2022

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

(1) परियोजना का नाम : उप मुख्य अभियंता निर्माण II परिश्चम मध्य रेलवे भोपाल को (बीना कटनी तीसरी रेलवे लाईन 265 मि०मी०) निर्माण परियोजना

(2) भूमि का विवरण

- 1 जिला : सागर
 2 तहसील : सागर
 3 ग्राम : तोडा गौतमिया
 4 पट० ह० नं०- : 5
 5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.550

सुरल क्र०	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख० नं०	कुल रकवा	अर्जित रकवा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	सिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	कलाश पिता मूरतासह	भूमिस्वामी	333/1	0.65	0.04	निरंक	सिंचित	
2	ताराबाई पात मूरतासह	भूमिस्वामी	333/2	0.04	0.04	निरंक	असिंचित	
3	दापक पिता मूरतासह	भूमिस्वामी	333/3	0.68	0.04	निरंक	सिंचित	

4	आनंदी पिता कड़ोरे	भूमिस्वामी	334	0.77	0.12	निरंक	सिंचित
5	श्यामलाल पिता भजन	भूमिस्वामी	336/1	0.21	0.04	निरंक	सिंचित
6	खिलान माता रल्ली	भूमिस्वामी	336/2	0.40	0.04	निरंक	सिंचित
7	श्यामलाल पिता भजन	भूमिस्वामी	338	0.55	0.17	निरंक	सिंचित
8	लीलाबाई पुत्री खुमान	भूमिस्वामी	340/1	1.00	0.06	निरंक	सिंचित
9	लीलाबाई पुत्री खुमान	भूमिस्वामी	340/2	1.21	0.06	निरंक	सिंचित
10	कुलश्रेष्ठ पिता प्रकाशनारायण	भूमिस्वामी	346	0.40	0.06	निरंक	सिंचित
11	गुदीबाई पत्नी शेरसिंह	भूमिस्वामी	343	0.50	0.10	निरंक	सिंचित
12	नरेंद्र पुत्र शेरसिंह गुर्जर	भूमिस्वामी	344/1	0.91	0.04	निरंक	सिंचित
13	पूरन पिता दयाली	भूमिस्वामी	344/2	0.04	0.04	निरंक	सिंचित
14	कुलश्रेष्ठ पिता प्रकाशनारायण	भूमिस्वामी	345/1	0.35	0.13	निरंक	सिंचित
15	कुलश्रेष्ठ पिता प्रकाशनारायण	भूमिस्वामी	345/2	0.20	0.13	निरंक	सिंचित
16	सीताराम पुत्र रामनाथ	भूमिस्वामी	347/1/1	0.45	0.06	निरंक	सिंचित
17	भोगाबाई पत्नी पूरन	भूमिस्वामी	349/4	0.60	0.20	निरंक	सिंचित
18	प्यारीबाई जोजे पूरन लाल	भूमिस्वामी	349/1	0.42	0.12	निरंक	सिंचित
19	भागीरथ पिता परसू	भूमिस्वामी	352/1	0.37	0.06	निरंक	सिंचित
योग:-				9.750	1.550	-	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 30/09/2022 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं सहायक मंडल अभियंता नि. प.म.रे. सागर में किया जा सकता है।

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 82-भू-अर्जन-2022-प्र. क्र. 2022-23

नीमच, दिनांक 30 अगस्त 2022

सार्वजनिक सूचना

चूंकि मध्यप्रदेश राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच जिला नीमच द्वारा ग्राम परवनी में परवनी तालाब परियोजना के निर्माण हेतु निजी भूमि की आवश्यकता है इसका विवरण निम्नानुसार है

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कड़िका 11 (1) के अंतर्गत यह सूचना जारी की जा रही है। क्रय नीति के अंतर्गत ली जा रही भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरांत 15 दिवस के भीतर अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति कलेक्टर कार्यालय नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी तथा भू-अर्जन अधिकारी जावद के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला - नीमच
ग्राम - परवनी
तहसील - जावद
क्षेत्रफल - कुल रकबा 4.120 हेक्टे. में से 3.330 हेक्टे.

परवनी तालाब योजना

तहसील- जावद

जिला-नीमच

मौजा- निलिया

सं. क्र.	कृषक का नाम पिता/पति का नाम	सर्वे न.	अधिग्रहित रकबा			अन्य सम्पत्ति	अन्य संरचना
			सिंचित	असिंचित	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राधाबाई पति राधेश्याम जाति बंजारा संपूर्ण भाग भूमिस्वामी	56/1	0.740		0.740	निरंक	निरंक
		56/2	0.300		0.300		
2	भंवरलाल पिता भगना जाति रेगर भूमिस्वामी	58/2	1.040		1.040	निरंक	निरंक
3	सुन्दरबाई पति केशुराम जाति रेगर संपूर्ण भाग भूमिस्वामी	67/1	0.210		0.210	निरंक	निरंक
4	मोनिका पिता भगवानलाल जाति भील पता जनकपुर जावद, नीमच भूमिस्वामी	57/1	0.260		0.260	निरंक	निरंक
5	विशाल पिता तुलसीराम जाति भील निवासी परवनी भूमिस्वामी	57/2	0.780		0.780	निरंक	निरंक

मयंक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

पत्र क्रमांक 3641-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

हरसूद, दिनांक 5 सितम्बर 2022

प्ररूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 0518/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 4 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -सुकवी रैय्यत, प.ह.न.-16, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -सुकवी रैय्यत, प.ह.न.-16,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			543/1	0.023
				0.010
				0.005
			543/2	0.012
534/1	0.009			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -सुकवी रैय्यत, प.ह.न.-16,	533/2	0.004
			533/1	0.011
			510/1	0.007
			509/1/1	0.013
			509/1/2	0.007
			509/2/1	0.002
			507	0.022
			506/2	0.015
			491/3	0.008
			491/2	0.010
			491/1	0.013
			459	0.026
			432/2/1	0.004
			431/2	0.002
			431/3	0.002
			431/4	0.002
			431/5	0.002
			433/1	0.015
			434	0.009
			योग निजी भूमि	
खण्डवा	खालवा	ग्राम -सुकवी रैय्यत, प.ह.न.-16,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			539	0.002
			535	0.001
			499	0.001
			492	0.001
			435	0.001
			460	0.001
योग शासकीय भूमि			06	0.007
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			28	0.240

पत्र क्रमांक 3644-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक-0005/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -मदरानी प.ह.न.-06, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मदरानी प.ह.न.-06,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			28	0.013
			30	0.015
			33	0.011
			36	0.013
			39/2	0.028

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मदरानी प.ह.न.-06,	40/3	0.012
			40/4	0.017
			53	0.003
			52	0.025
			51	0.021
			49	0.004
			207	0.024
			50	0.002
			206	0.001
			208	0.003
			212/2	0.010
			211	0.014
			210	0.015
			योग निजी भूमि	
			उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			35	0.002
			37	0.002
			44	0.002
			29	0.002
योग शासकीय भूमि			04	0.008
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			22	0.239

पत्र क्रमांक 3647-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक-0016/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन आर.एम.-1 में जल परिवहन हेतु ग्राम -नंदगांव रैय्यत, प.ह.न.-41, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -नंदगांव रैय्यत, प.ह.न.-41,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			146/1	0.120
			162	0.015
			201	0.035
			200	0.031
			199/1	0.147

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम - नंदगांव रैय्यत, प.ह.न.-41,	214/3	0.095
			218	0.090
			219/1	0.036
			217	0.008
			221/2	0.073
			221/1	0.028
			221/3	0.018
			235/2	0.007
			235/1	0.038
			योग निजी भूमि	
			उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			128	0.011
			146/2	0.092
			160/3	0.136
			168	0.227
			238	0.098
योग शासकीय भूमि			05	0.564
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			19	1.305

A

पत्र क्रमांक 3650-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-"ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 0050/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 03 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -रिछड़ीखेड़ा, प.ह.न.-32, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डकट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डकट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डकट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - रिछड़ीखेड़ा, प.ह.न.-32,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			145	0.006
			144	0.001
			146	0.004
			147	0.007
खण्डवा	खालवा	ग्राम - रिछड़ीखेड़ा, प.ह.न.-32,	140	0.007
			139	0.007
			137	0.014
			136	0.001
			253	0.002
योग निजी भूमि			09	0.052
			उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			142	0.001
			203	0.001
योग शासकीय भूमि			02	0.002
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			11	0.054

पत्र क्रमांक 3653-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-"ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक-0043/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -मालगांव माल, प.ह.न.-12, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मालगांव माल, प.ह.न.-12,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			225/1	0.019
			225/2	0.002
				0.002
			227	0.001
223	0.008			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मालगांव माल, प.ह.न.-12,	219/1	0.008
			216	0.018
				0.008
			210	0.001
			211/4	0.005
			211/5	0.015
			200/4	0.001
			योग निजी भूमि	
			उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			224	0.001
			212	0.001
योग शासकीय भूमि			02	0.002
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			12	0.090

पत्र क्रमांक 3656-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 0044/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -मदनी, प.ह.न.-01, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मदनी, प.ह.न.-01,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			108/2	0.004
			109/1	0.007
			109/2	0.003
			110	0.004
			111/1	0.005
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मदनी, प.ह.न.-01,	112/2	0.001
			99/3	0.001
			99/5	0.009
			99/1	0.001
			97/1	0.011
			98	0.001
			96/2	0.008
			95/1	0.004
			95/2	0.002
कुल योग (निजी भूमि)			14	0.061

पत्र क्रमांक 3659-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक-0006/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -कालाआम कलां, प.ह.न.-06, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -कालाआम कलां, प.ह.न.-06,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			605/3	0.010
			604	0.001
			613	0.002
			614	0.002
			615	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -कालाआम कलां, प.ह.न.-06,	616	0.003
			617	0.002
			620	0.018
			634/1	0.002
			635	0.013
			637/2	0.014
			638	0.006
			642	0.004
			643	0.010
			652	0.006
			653	0.018
			661	0.007
			664	0.011
			671	0.009
			675	0.003
			679	0.003
			680	0.010
			681	0.005
			682	0.008
			687	0.012
688	0.011			
693	0.008			
695	0.014			
702	0.010			
योग निजी भूमि			29	0.224
खण्डवा	खालवा	ग्राम -कालाआम कलां, प.ह.न.-06,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			606	0.001
			608	0.002
			622	0.001
			661/711	0.001
			677/712	0.001
703	0.001			
योग शासकीय भूमि			06	0.007
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			35	0.231

पत्र क्रमांक 3662-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक-0014/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -गारबेड़ी, प.ह.न.-41, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -गारबेड़ी, प.ह.न.-41,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			46/1	0.004
			45	0.007
				0.002
			47/6	0.003
47/8	0.011			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -गारबेड़ी, प.ह.न.-41,	5/3	0.002
			5/5	0.003
			5/1	0.010
			5/6	0.006
			6	0.001
			35	0.016
			11/1	0.008
			12	0.006
			19/1	0.006
			19/2	0.003
			योग निजी भूमि	
			उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			79	0.001
			50	0.001
			10	0.004
			14	0.004
			414	0.007
योग शासकीय भूमि			05	0.017
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			19	0.105

पत्र क्रमांक 3665-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक-004e/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 01 व 02 तथा आर.एम.-02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -जोगीबेड़ा, प.ह.न.-04, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	
खण्डवा	खालवा	ग्राम - जोगीबेड़ा, प.ह.न.-04,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	0.002	
				9/1	0.007
					0.005
			15	0.036	
				0.046	
				0.041	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - जोगीबेड़ा, प.ह.न.-04,	18	0.022
			21/1	0.016
			21/2	0.031
			59/1	0.005
			59/5	0.029
			59/6	0.032
			64/3	0.044
			64/2	0.027
			64/1	0.020
			227/1	0.015
			227/2	0.015
			227/3	0.020
			227/4	0.015
			227/5	0.020
			231/1	0.004
			231/2	0.003
			231/3	0.005
			232/1	0.006
			14/2	0.070
				0.063
			12/1	0.012
				0.007
			12/2	0.064
				0.057
			28	0.078
				0.069
			31/1	0.010
				0.069
				0.063
				0.014
			30	0.012
			37/6	0.021
				0.019
			37/5	0.019
0.018				
37/4	0.018			
	0.017			
37/3	0.018			
	0.017			
37/2	0.015			
	0.014			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम – जोगीबेड़ा, प.ह.न.-04,	39/1	0.034
				0.032
				0.010
			39/2	0.032
				0.030
				0.012
			40/1/1	0.005
			40/1/2	0.004
			40/2	0.007
			40/3	0.008
			42/1	0.023
			41	0.058
				0.055
			42/2	0.032
				0.031
			93/3	0.022
				0.020
			93/4	0.054
				0.051
			93/5	0.048
				0.045
			99/1	0.095
				0.090
			100	0.069
				0.065
			101/2	0.007
				0.006
38	0.034			
योग निजी भूमि			47	2.209

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम – जोगीबेड़ा, प.ह.न.-04,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			1	0.018
				0.026
				0.023
			13	0.032
				0.034
				0.007
			20	0.069
			60	0.010
			62	0.005
			228	0.005
			230	0.001
			77	0.003
				0.003
योग शासकीय भूमि			08	0.236
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			55	2.445

पत्र क्रमांक 3670-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-"ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक-0023/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा मार्झको उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु **ग्राम -खेड़ी, प.ह.न.-02, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश** को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -खेड़ी, प.ह.न.-02,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			182/1	0.006
			96	0.001
			95	0.002
कुल योग (निजी भूमि)			03	0.010

पत्र क्रमांक 3673-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक-0604/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -कालाआम खुर्द, प.ह.न.-07, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -कालाआम खुर्द, प.ह.न.-07,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			502	0.013
			501/2	0.006
			501/1/2	0.009
			499/4	0.026
		521	0.001	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)			
1	2	3	4	5			
खण्डवा	खालवा	ग्राम -कालाआम खुर्द, प.ह.न.-07,	522/3	0.013			
			522/1	0.001			
			522/2	0.013			
			538/3	0.010			
			538/1	0.003			
			538/2	0.003			
			539/2	0.007			
			539/1	0.003			
				0.004			
			539/3	0.006			
			577	0.005			
			587	0.001			
			588	0.010			
			608	0.001			
			640	0.007			
			636/1	0.002			
			636/2	0.002			
			636/3	0.001			
			योग निजी भूमि			22	0.147

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -कालाआम खुर्द, प.ह.न.-07,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			503	0.001
			493	0.001
			543	0.001
			541	0.001
			542	0.003
			578	0.001
			582	0.007
			576	0.004
				0.008
			584	0.009
			585	0.001
			615	0.021
			607	0.008
			643	0.001
			641	0.002
			637	0.001
			660	0.002
				0.002
			661	0.002
0.010				
योग शासकीय भूमि			17	0.084
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			39	0.231

पत्र क्रमांक 3676-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-"ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक-0039/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -राजपुरा बखार प.ह.न.-25, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -राजपुरा बखार प.ह.न.-25,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			624	0.002
			625	0.014
			626	0.002
			628/2	0.011
		630/2	0.003	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -राजपुरा बखार प.ह.न.-25,	631	0.001
			637	0.001
			639/3	0.001
			639/2	0.009
			639/1	0.002
			535/1	0.001
				0.005
				0.001
			536	0.001
			393	0.005
				0.005
			194/1	0.017
			194/2	0.008
			193/2/1	0.007
			193/2/2	0.006
			193/1	0.008
				0.005
			192/2	0.006
			192/3	0.006
			192/4	0.005
			294	0.001
			170/2	0.014
				0.004
			169/4	0.004
			178/1/1	0.003
			169/3	0.004
			169/2	0.004
			169/1	0.005
167/3	0.015			
167/2	0.002			
164/2	0.010			
164/1	0.017			
160/1	0.001			
156/1	0.018			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —राजपुरा बखार प.ह.न.—25,	157/1	0.006
				0.001
			154/1	0.003
			154/2	0.009
			153/2	0.010
			153/1	0.003
			148	0.006
			409	0.013
			411/1	0.010
			410/3	0.011
			413	0.008
			416	0.018
			415	0.012
			423	0.007
				0.005
			422	0.005
			534/1	0.010
			534/3	0.006
			534/2/2	0.008
			623/3	0.008
			623/2	0.005
			623/1	0.009
			627/2	0.005
			627/1	0.003
			591/2	0.005
			654/1	0.009
			654/4	0.004
				0.004
			653/2	0.003
			653/1	0.004
			740/2	0.004
			702/3	0.001
			191/1/5	0.001
			191/2/4	0.001
			191/1/6	0.003
			191/2/1	0.002
178/1/3	0.001			
191/2/2	0.003			
191/2/3	0.003			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -राजपुरा बखार प.ह.न.-25, योग निजी भूमि	178/1/2	0.003
			184	0.002
			72	0.468
			उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			638	0.001
			635	0.001
				0.001
			537	0.001
				0.001
			394	0.001
				0.001
			171	0.001
				0.001
			296	0.001
			165	0.001
			161	0.001
			159	0.001
			155	0.001
			151	0.001
			412	0.001
			420	0.001
			613	0.001
			612	0.001
			595	0.001
			593	0.001
			742	0.001
			800	0.001
			189	0.001
योग शासकीय भूमि			20	0.024
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			92	0.492

पत्र क्रमांक 3680-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 0022/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 4 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -देवली कला प.ह.न.-30, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - देवली कला प.ह.न.-30,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			7	0.003
			8	0.005
			9	0.008
			67/1	0.001
		12/1	0.011	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - देवली कला प.ह.न.-30,	12/2	0.006
			63/1	0.006
			63/2	0.008
			58	0.006
			57/1	0.001
			57/2	0.007
			56/2	0.003
			93	0.006
			99/1	0.002
			योग निजी भूमि	
			उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			66	0.001
			94	0.001
योग शासकीय भूमि			02	0.002
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			16	0.075

पत्र क्रमांक 3683-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

कमांक-0028/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक- 02 से पम्प हाऊस कमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक- 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -भडंग्या, प.ह.न.-13, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -भडंग्या, प.ह.न.-13,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			64	0.003
योग निजी भूमि			01	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -भडंग्या, प.ह.न.-13,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			151	0.001
			130	0.004
			129	0.001
			107	0.036
				0.006
			108	0.011
			109	0.001
			69	0.003
			71	0.003
			70	0.009
			61	0.002
			66	0.003
			65	0.005
			योग शासकीय भूमि	
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			13	0.088

पत्र क्रमांक 3686-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

कमांक-0003/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक- 02 से पम्प हाऊस कमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -मैदारानी, प.ह.न.-18, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - मैदारानी, प.ह.न.-18,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			28/2	0.006
			योग निजी भूमि	01
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मैदारानी, प.ह.न.-18,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			7	0.001
			181/1	0.005
योग शासकीय भूमि			02	0.006
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			03	0.012

पत्र क्रमांक 3689-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

कमांक-5011/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन आर.एम.-1 में जल परिवहन हेतु ग्राम -चारखेड़ा पु.आ., प.ह.न.-45, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -चारखेड़ा पु.आ., प.ह.न.-45,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			98/4	0.086
			99/1	0.022
			158/3	0.102
			156	0.023
		155/1	0.023	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम - चारखेड़ा पु.आ., प.ह.न.-45,	202/1/1	0.032
			202/1/2	0.004
			202/1/3	0.014
			203	0.017
			207/1	0.069
			207/2	0.047
			208	0.110
			243	0.089
			233	0.003
			247/1	0.047
			312	0.082
			301/3	0.011
			311	0.018
			309/2	0.042
			308/2	0.007
			309/1	0.047
			308/1	0.026
			307	0.051
			306	0.014
			योग निजी भूमि	
			उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			106/1	0.010
			158/2	0.031
			157	0.011
			159/1	0.011
			230	0.008
			242	0.010
			241	0.020
			246	0.060
			249	0.008
			278	0.072
			313	0.017
योग शासकीय भूमि			08	0.258
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			32	1.244

पत्र क्रमांक 3692-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 0019/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 4 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -चिकतलाई, प.ह.न.-31, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -चिकतलाई, प.ह.न.-31,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			263/8	0.002
				0.003
			38/3	0.008
			38/2	0.009
		38/5	0.003	
खण्डवा	खालवा	ग्राम -चिकतलाई, प.ह.न.-31,	38/1	0.008
			39/1	0.005
			39/5	0.005
			40/3	0.003
कुल योग (निजी भूमि)			08	0.046

पत्र क्रमांक 3695-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक-0032/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -सुकवा रैय्यत, प.ह.न.-16, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -सुकवा रैय्यत, प.ह.न.-16,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			69/2	0.001
			69/1	0.004
			68/1	0.006
			74	0.005
			75	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कर्मांक	खसरा कर्मांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -सुकवा रैय्यत, प.ह.न.-16,	13/1	0.027
			14/1	0.003
				0.003
			14/2	0.005
			43/3	0.006
			31/1	0.001
			31/2	0.004
			32	0.006
			33/2	0.003
			205	0.007
			212	0.013
			210/3	0.015
			223/1	0.004
			223/3	0.004
			222/1/2	0.005
			222/4/1	0.001
			222/4/2	0.004
			266/3	0.002
			33/1	0.004
			248/1	0.009
			248/2	0.005
			249	0.001
			250	0.003
			251	0.002
			253	0.002
			252	0.003
			444/3	0.006
			440	0.008
438	0.001			
439	0.007			
454	0.007			
योग निजी भूमि			35	0.188

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -सुकवा रैय्यत, प.ह.न.-16,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			22	0.002
			203	0.001
			221	0.001
			265	0.017
			271	0.001
			246	0.010
			247	0.009
			223/2	0.001
			256	0.001
योग शासकीय भूमि			09	0.043
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			44	0.231

पत्र क्रमांक 3698-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक-0043/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 03 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -कुम्हारखेड़ा, प.ह.न.-32, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - कुम्हारखेड़ा, प.ह.न.-32,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			120	0.002
			119	0.006
			116/1	0.002
			116/2	0.002
			116/3	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - कुम्हारखेड़ा, प.ह.न.-32,	115	0.003
			110	0.003
			2	0.003
योग निजी भूमि			08	0.024
खण्डवा	खालवा	ग्राम - कुम्हारखेड़ा, प.ह.न.-32,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			1	0.001
			14	0.001
योग शासकीय भूमि			02	0.002
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			10	0.026

पत्र क्रमांक 3701-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक-0011/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 2 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 एवं आर.एम.-2 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -भगावा, प.ह.न.-09, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -भगावा, प.ह.न.-09,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	0.029
				0.033
				0.022
				0.003
				0.018
				0.007

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -भगावा, प.ह.न.-09,	4/3	0.016
				0.007
			9	0.020
			5/5	0.017
				0.005
			5/4	0.017
				0.005
			32/3	0.016
			5/3	0.009
				0.009
			5/2	0.005
			32/2	0.014
			5/1	0.007
			3/5	0.015
			12/4	0.003
			10	0.033
				0.001
			26	0.019
			32/1	0.016
			32/4	0.010
			353/2	0.057
			353/6	0.009
			353/5	0.029
			354/2	0.018
			353/4	0.027
			351	0.027
			350	0.014
			349/2	0.046
			349/3	0.006
			378/5	0.018
			378/2	0.025
			379	0.062
			380/1	0.039
383	0.012			
391/2	0.055			
394/1	0.004			
394/2	0.062			
395	0.008			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -भगावा, प.ह.न.-09,	423	0.010
			448/1	0.065
			448/2	0.016
			445/1	0.027
			445/2	0.018
			443	0.027
			442/2	0.023
			451	0.023
			452/1	0.013
			452/2	0.014
			452/4	0.001
			452/3	0.034
			461/2	0.004
			462	0.064
			460	0.054
			10	0.033
				0.001
			26	0.019
			22	0.006
				0.009
			21/1	0.007
			21/2	0.007
			21/3	0.007
			21/4	0.008
			20/2	0.017
			37/1	0.005
			69/1	0.004
			37/2	0.005
			69/2	0.004
			37/3	0.005
			69/3	0.004
			37/4	0.005
				0.006
			69/4	0.004
37/5	0.005			
	0.002			
69/5	0.004			
37/6	0.004			
	0.007			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -भगावा, प.ह.न.-09,	69/6	0.002
			37/7	0.004
			69/7	0.004
			37/8	0.005
				0.006
			69/8	0.004
			39/1	0.016
			38	0.011
			57/1	0.007
				0.001
				0.014
			54	0.041
				0.007
			55	0.018
			46/1/1	0.011
			46/1/2	0.028
			46/3	0.004
			46/2	0.019
			48	0.001
			47	0.010
			210/1	0.004
			210/4	0.006
			210/3	0.007
			212	0.012
			213/1	0.007
			56/1	0.016
			43/1	0.007
			8/2	0.004
			25	0.013
			243	0.001
			72	0.030
			65	0.027
64	0.043			
63/1	0.001			
63/2	0.020			
198/2	0.030			
195/1	0.011			
200	0.036			
201	0.001			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -भगावा, प.ह.न.-09,	193/3	0.001
			241/2	0.013
			241/1	0.002
			240	0.026
			242	0.003
			224	0.031
			250/3	0.021
			250/2	0.011
			253/1	0.032
			253/2	0.006
			253/3	0.006
			254	0.025
			255/3	0.026
			255/2	0.001
			363	0.024
			359	0.010
			358	0.013
			360	0.004
			357/1	0.001
			357/2	0.012
			353/3	0.010
354/1	0.007			
354/3	0.030			
			354/3	0.018
योग निजी भूमि			127	2.267
खण्डवा	खालवा	ग्राम -भगावा, प.ह.न.-09,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			1	0.008
				0.005
				0.012
			18	0.002
				0.001
				0.001
			76	0.010
				0.003
			352	0.003
309	0.009			
388	0.005			
308	0.006			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -भगावा, प.ह.न.-09,	422	0.005
			444	0.003
			7	0.002
				0.001
			40	0.002
			49	0.001
			211	0.002
			208	0.002
				0.001
			42	0.001
			236	0.018
			237	0.018
			251	0.002
			256	0.001
			361	0.002
			377	0.031
			374	0.002
			238	0.004
			239	0.005
			192	0.001
191	0.001			
योग शासकीय भूमि			26	0.170
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			153	2.437

दलीप कुमार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-09-अ-82-22-23-भू-अर्जन-22-5987

सागर, दिनांक 10 अगस्त 2022

मौजा करहद, पट.ह.नं.-06, तहसील जैसीनगर.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को पड़रिया कलां जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : पड़रिया कलां जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण
- | | | | |
|----|--------------------------|---|----------|
| 1. | जिला | : | सागर |
| 2. | तहसील | : | जैसीनगर |
| 3. | ग्राम | : | करहद |
| 4. | पट.ह.नं.- | : | 06 |
| 5. | अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 3.20 हे० |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	नीतेश पिता राजा सिंह पता सा. महुआखेड़ा कला भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	664	0.33	0.05	कृषिभूमि
2	मंदिर श्री जानकी रमण बांके मुह. विजयबहादुरसिंह बल्द रामदयालसिंग पता करहद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	665	3.73	0.43	कृषिभूमि
3	सुमतरानी जोजे विजयबहादुर सिंह पता करहद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	668	0.17	0.03	कृषिभूमि
4	सुमतरानी जोजे विजयबहादुर सिंह पता करहद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	669	2.02	0.20	कृषिभूमि
5	राजनारायण वल्द विजयबहादुर सिंह पता करहद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	670	0.77	0.19	कृषिभूमि
6	कृष्णबहादुर सिंह पिता विजयबहादुर सिंह यादव पता करहद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	671	2.87	0.22	कृषिभूमि
7	गंधर्वसींग बल्द भंगलसींग यादव पता करहद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	673/2	0.4	0.04	कृषिभूमि
8	राधे पिता पूरन जाति प्रजापति पता करहद जैसीनगर सागर मध्य-प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	674/1	0.4	0.04	कृषिभूमि

9	फूलरानी पिता लक्ष्मनप्रसाद पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	674/2	0.4	0.04	कृषिभूमि
10	फूलरानी पिता लक्ष्मनप्रसाद पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	674/3	0.4	0.04	कृषिभूमि
11	रामकृष्ण वल्द लक्ष्मन प्रसाद पता करहद सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	674/4	0.41	0.04	कृषिभूमि
12	रामसींग पिता पूरन जाति प्रजापति पता करहद जैसीनगर सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग स्वामी	भूमिस्वामी	675/1	0.8	0.10	कृषिभूमि
13	राधे पिता पूरन जाति प्रजापति पता करहद जैसीनगर सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	675/2	0.18	0.02	कृषिभूमि
14	फूलरानी पिता लक्ष्मनप्रसाद पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	676	1.21	0.15	कृषिभूमि
15	संतोष पिता धोकल जाति कुर्मी पता करहद जैसीनगर सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	677/1	1.24	0.07	कृषिभूमि
16	दशरथ पिता नोनीतराम जाति कुर्मी पता करहद जैसीनगर सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	677/2	0.8	0.15	कृषिभूमि
17	जबाहरसींग वल्द मंगलसींग यादव पता करहद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	677/4	0.4	0.08	कृषिभूमि
18	रूपसींग कमलसींग पिता बाबूलाल यादव पता पड़रिया कलां भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	678	2.45	0.23	कृषिभूमि
19	औंकारसींग बल्द बाबूलाल यादव पता करहद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	681	0.61	0.08	कृषिभूमि
20	विष्णुप्रसाद पिता रगनाथ जाति विश्वकर्मा पता करहद जैसीनगर सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी, हरदास पिता रगनाथ जाति विश्वकर्मा पता करहद जैसीनगर सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी, बद्धी पिता रगनाथ जाति विश्वकर्मा पता करहद जैसीनगर सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी, संतोषरानी पुत्री रगनाथ जाति विश्वकर्मा पता करहद जैसीनगर सागर मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	682	1.74	0.13	कृषिभूमि
21	दशरथ पिता नोनीतराम जाति कुर्मी पता करहद जैसीनगर सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	683/1	0.8	0.04	कृषिभूमि
22	कल्यानसींग नावा पिता रतरसींग पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग	भूमिस्वामी	685	0.49	0.18	कृषिभूमि

	भूमि स्वामी					
23	गोपीबाई पति भगतसिंह पता करहद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	118/1	0.46	0.05	कृषिभूमि
24	लखनसींग बल्द हुकुमसींग पता करहद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	118/5	0.4	0.40	कृषिभूमि
25	विमलकुमार बल्द बाबूलाल जैन भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	118/13	0.2	0.20	कृषिभूमि
योग—				23.68	3.20	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-10-अ-82-22-23-भू-अर्जन-22-5989

मौजा महुआखेडा, पट.ह.नं.-07, तहसील जैसीनगर.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को पड़रिया कलां जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : पड़रिया कलां जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : जैसीनगर
 3. ग्राम : महुआखेडा कलां
 4. पट.ह.नं.-- : 07
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.60 हे०

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	सुमंत्रा पत्नि जमना पता महुआखेडा कलां	भूमिस्वामी	39	0.61	0.07	कृषिभूमि
2	रामसींग पिता प्रताप सींग पता महुआखेडा कलां	भूमिस्वामी	62	1.04	0.13	कृषिभूमि
3	जमना पिता टुंडे	भूमिस्वामी	65	2.13	0.11	कृषिभूमि
4	बलवान सींग पिता प्रताप सींग	भूमिस्वामी	249	2.37	0.01	कृषिभूमि
5	प्रशांत पिता मोहरसींगसादेह	भूमिस्वामी	251/4/2	0.46	0.19	कृषिभूमि
6	मोहरसींग पिता भीकम सींग	भूमिस्वामी	251/4/1	1		कृषिभूमि
7	प्रशांत पिता मोहन सींग	भूमिस्वामी	251/3	1.46		कृषिभूमि
8	गजेन्द्र सिंह पिता रघुराज सिंह	भूमिस्वामी	251/2	1.46		कृषिभूमि
9	जयसींग पिता भगवानसींग	भूमिस्वामी	251/1/2	0.2		कृषिभूमि
10	रघुराज सींग पिता भीकम सींग	भूमिस्वामी	251/1/1	1.26		कृषिभूमि
11	लक्ष्मी पत्नि कौशल किशोर मिश्रा	भूमिस्वामी	250/4	0.8		0.16
12	कौशल किशोर पिता शिवदयाल	भूमिस्वामी	250/3	1.68	कृषिभूमि	
13	कौशल किशोर पिता शिवदयाल	भूमिस्वामी	250/2	0.87	कृषिभूमि	
14	कौशल किशोर पिता शिवदयाल	भूमिस्वामी	250/1	0.4	कृषिभूमि	

15	शासकीय	भूमिस्वामी	302	2.13	0.03	कृषिभूमि
16	साहव सींग पिता शंकर सींग	भूमिस्वामी	331	0.9	0.07	कृषिभूमि
17	शासकीय	भूमिस्वामी	322	0.54	0.08	कृषिभूमि
18	निरंजन पिता खेतसींग	भूमिस्वामी	52/362/3	0.26	0.26	कृषिभूमि
19	खेतसींग पिता लालसींग	भूमिस्वामी	52/362/2	1		कृषिभूमि
20	श्रीबाई पत्नि खेतसींग	भूमिस्वामी	52/362/1	0.46		कृषिभूमि
21	रबिन्द्र सिंह पिता रघुवीरसींग	भूमिस्वामी	52/4	1.06		कृषिभूमि
22	सुरेन्द्रसिंह पिता महेन्द्रसिंह	भूमिस्वामी	52/3	2.51		कृषिभूमि
23	कृष्णासिंह पिता रघुवीरसींग	भूमिस्वामी	52/2	1.47		कृषिभूमि
24	जोगेन्द्रसिंह पिता नारानसिंह	भूमिस्वामी	52/1/3	0.4		कृषिभूमि
25	रुद्रप्रतापसिंह पिता नारानसींगसादेह	भूमिस्वामी	52/1/2	0.6		कृषिभूमि
26	बजेन्द्रसिंह पिता नारानसींगसादेह	भूमिस्वामी	52/1/1	1.51		कृषिभूमि
27	शासकीय	भूमिस्वामी	49	0.25		0.02
28	सुरेन्द्रसिंह पिता महेन्द्रसिंह	भूमिस्वामी	48/3	0.98	0.19	कृषिभूमि
29	रघुवीरसिंह माधवसींग विष्णुसिंह पिता हनुमतसींग	भूमिस्वामी	48/2	0.99		कृषिभूमि
30	रुद्रप्रतापसिंह पिता नारानसींगसादेह	भूमिस्वामी	48/1	0.99		कृषिभूमि
31	शेरसिंह पिता भीकम सिंह	भूमिस्वामी	43	1.41	0.10	कृषिभूमि
32	शासकीय	भूमिस्वामी	45	1.08	0.02	कृषिभूमि
33	अमित पिता अमरसींग	भूमिस्वामी	42/5	2.23	0.18	कृषिभूमि
34	शेरसिंह पिता भीकम सिंह	भूमिस्वामी	42/4	1.63		कृषिभूमि
35	राजकुमारी पत्नी मोहरसींगसादेह	भूमिस्वामी	42/3	0.1		कृषिभूमि
36	रूपाबाई पत्नी अमरसींग	भूमिस्वामी	42/2	0.8		कृषिभूमि
37	रघुराजसिंह पिता भीकमसिंह	भूमिस्वामी	42/1	0.1		कृषिभूमि
38	भैयाबुन्देलसींग पिता हाकमसींग	भूमिस्वामी	36/2	0.65	0.05	कृषिभूमि
39	भैयाबुन्देलसींग पिता हाकमसींग	भूमिस्वामी	36/1	0.95		कृषिभूमि
40	शासकीय	भूमिस्वामी	280	0.85	0.02	कृषिभूमि
41	राजकुमारी पत्नी मोहरसींगसादेह	भूमिस्वामी	252/4	0.4	0.14	कृषिभूमि
42	अजबसींग पिता मुंशीसिंह	भूमिस्वामी	252/3	0.89		कृषिभूमि
43	गजेन्द्र सिंह पिता रघुराज सिंह	भूमिस्वामी	252/2	0.4		कृषिभूमि
44	हरिओमशरणसिंह पिता रामसिंह	भूमिस्वामी	252/1	0.8		कृषिभूमि
45	गोविंदसींग पिता नारानसींगसादेह	भूमिस्वामी	319	0.75	0.04	कृषिभूमि
46	हनमतसींग पिता अभयसींग नारायणसींग पिता अभयसींग महेन्द्रसींग पिता अभयसींग	भूमिस्वामी	317	1.51	0.08	कृषिभूमि
47	शासकीय	भूमिस्वामी	315	0.1	0.01	कृषिभूमि
48	श्रीसिंह पिता फूलसींग	भूमिस्वामी	318/2	3.31	0.16	कृषिभूमि

49	भगवानसींग पिता फूलसींग	भूमिस्वामी	318/1	2.3		कृषिभूमि
50	राजकुमार पिता दशिवनारायण	भूमिस्वामी	248	1.01	0.06	कृषिभूमि
51	रविराज पिता अजबसींग	भूमिस्वामी	60/1	0.83	0.11	कृषिभूमि
52	भूपेन्द्रसिंह पिता अजबसिंह	भूमिस्वामी	60/2	0.82		कृषिभूमि
53	सन्तोष पिता बहादुरसिंह जाति 1	भूमिस्वामी	61/1/1	0.4	0.14	कृषिभूमि
54	अनुजना.वा.पिता सँतोषसिंह सादेह	भूमिस्वामी	61/1/2	0.62		कृषिभूमि
55	जगभानसिंह बल्द बहादुरसिंह	भूमिस्वामी	61/2	1.02		कृषिभूमि
56	लखनसींग पिता मुँशीसींग	भूमिस्वामी	63/1	0.97	0.18	कृषिभूमि
57	अवधेशसिंह पिता मुशीसिंह	भूमिस्वामी	63/2	2		कृषिभूमि
योग-				60.72	2.60	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र.क्र.-जा.क्र.-05-ए-82-2022-8172.

राजगढ़, दिनांक 26 अगस्त 2022

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में कुण्डलिया सिंचाई परियोजना के ग्राम मुण्डी तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया दांयी तट नहर के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - मुण्डी (पुरक भूमि)		तहसील - जीरापुर	जिला राजगढ़
क्रं.	विवरण	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि (पुरक) 1. कुण्डलिया सिंचाई परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि	10.567	0.739
	योग	10.567	0.739

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया सिंचाई परियोजना में प्रभावित कृषको की सुची

स. क.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	फूलसिंह पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	98/3/1	0.430	0.076
	योग		0.430	0.076
2	दर्यावसिंह पिता प्रभूलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	150/3/2	1.264	0.022
	योग		1.264	0.022
3	कालूसिंह पिता हजारीलाल कालीबाई बैवा हजारीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	106/2/1	0.358	0.076
	योग		0.358	0.076
4	निर्मल कुमार देवकरण पिता विजयसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी	108/5/2	1.000	0.046
	योग		1.000	0.046

सं. क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
5	मुमताज खां सरताज खा निजाम खां पिता बाबू खां रेहाना बी पिता बाबू खां रहमतबी बेवा बाबू खां जाति पिंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	133/2/2	1.250	0.160
	योग		1.250	0.160
6	भगवानसिंह पिता रतनसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी	130/1/2/4	0.638	0.024
	योग		0.638	0.024
7	श्यामबाई कृष्णाबाई निर्मलाबाई सोरमबाई रेखाबाई पिता मांगीलाल जगदीश करणसिंह नाबालिग पिता मांगीलाल संरक्षक माता शांतिबाई, शांतिबाई बेवा मांगीलाल जाति चमार पता रामनगर जीरापुर भूमि स्वामी	118/2	0.475	0.115
	योग		0.475	0.115
8	श्यामलाल दयाराम पिता बरदीलाल मांगीबाई बेवा बरदीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	115/2/7,	1.388	0.095
	योग		1.388	0.095
9	देवीसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवसी ग्राम भूमि स्वामी	150/4/1	2.500	0.048
	योग		2.500	0.048
10	रामलाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	147/3/4	1.264	0.077
	योग		1.264	0.077
	महायोग		10.567	0.739

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-5645-भू-अर्जन-2022.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त 2022

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	सौंसर
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-नन्देवानी प0ह0न-10 ब.न.-210 रा.नि.मं.-सौंसर
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-03.403 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	12/1	जाम-1
2	98/1	जाम-3, महुआ-1
3	98/2	जाम-1, सागौन-1
4	99/1, 298, 99/2	नीम-3, पलाश-1
5	110/2	कच्चा कोठा-1, कोयलार-1
6	110/3, 144/3	आम-1
7	111, 118/3	नीम-1, महुआ-1
8	113	जाम-4, तेंदु-1
9	118/13	कच्चा कुआं-1(गड्ढा), जाम-2, बेर-1, महुआ-1, अचार-1

10	127/1	बेर-2
11	128/2, 129/2	जाम-2, आम-1, महुआ-1
12	128/3	कच्चा कोठा-1
13	130/1	कच्चा कोठा-1
14	130/2, 131/2	झोपडी-1, बेर-2, पलाश-5, अचार-1
15	140, 141, 252, 268/1, 269, 270, 280/1	इमली-1
16	253/2, 253/3, 253/4, 254	सागौन-9, बेर-1
17	253/5	नीम-1, आम-2, जाम-2, जामुन-1
18	261/1, 264/2, 264/3, 265	नीम-1
19	261/2, 263, 264/1	पलाश-3
20	271	नीम-1
21	273/1	महुआ-2
22	273/2	महुआ-2
23	284/3, 348/4	महुआ-1
24	286/1	बेर-1, पलाश-1, नीम-2, सेमल-2, सागौन-19
25	288/7, 288/8, 288/9	कुआं कच्चा-1
26	291/1	बेर-1
27	291/2	सागौन-1
28	292	कच्चा कुआं-1
29	296/4	उमर-1, तेदु-1, पलाश-1, लेडिया-1, अचार-1, सागौन-14

30	296/10, 296/11	बेर-1, सागौन-3, पलाश-3, अचार-1, सेमर-1
31	308/1	जाम-3, नीम-3, तिवसा-2, अचार-1
32	308/3	महुआ-1
33	309/1	महुआ-1, अचार-1, सेमर-1
34	313	कच्चा कोठा -1
35	316, 332	कच्चा कोठा -1, जाम-3, नीम-1, पलाश-1, सेमर-1
36	326/5	सीताफल-4, अचार-1, नीम-1, मिलमा-2
37	329/1	आम-1
38	329/2, 375	कच्चा कुआ-1, पलाश-2, सागौन-3, नीम-2, सेमर-1
39	331/2	आम-1, जाम-1, बेर-1, महुआ-4, अचार-2
40	331/1	जाम-1, अचार-5, सागौन-1, महुआ-4, तिन्सा-1
41	333/1, 312	जाम-1, अचार-1, मोयन-1
42	335/5	जाम-1
43	339/1, 340/2, 340/3, 340/4	पलाश-1, नीम-1
44	339/3, 343/2	नारियल-1, रामफल-1, चीकू-1, नीम-8, पलाश-1, अचार-2, सागौन-1
45	340/7, 372/2	कच्चा कुआं-1 (गड्ढा), पलाश-5, सागौन-1, साग-1
46	341/1	सागौन-1
47	341/4	अनार-1, मीठी नीम-1, सागौन-2, नीम-2, मोयन-1, पलाश-1

48	343/3	साजा-1
49	343/4, 344/1	सीताफल-1, नीम-1
50	343/5	कच्चा कुआं-1 (गड्ढा), पाखड़-2, सागौन-1
51	343/8, 344/4	जामुन-1, नीम-2
52	357, 396	जाम-1, अचार-1, नीम-1
53	358/2, 358/3	ऑवला-1, तेंदु-2, महुआ-1, सागौन-1, पलाश-1
54	365/1	नीम-3, पलाश-3
55	365/2	जाम-2
56	366/3	पलाश-4, भिरा-1, सागौन-6
57	366/4	पलाश-1, सागौन-6, माहरूख-5
58	366/5	पलाश-5, सागौन-1, माहरूख-4
59	368/1, 370, 387/3	जाम-1, पलाश-2, सागौन-5, नीम-1, मिलमा-1
60	368/2, 387/1	सागौन-2, मिलमा-1, मोयन-2
61	368/3, 387/2	पलाश-1, उमर-1, नीम-2
62	369/1	कच्चा कोठा-1, कुआं कच्चा-1(गड्ढा)
63	369/3	सागौन-1
64	374/1, 386/2	सागौन-1
65	374/2, 386/3	पलाश-1, सागौन-1
66	374/3, 386/4	पलाश-2

67	377/1, 377/2	सागौन-10, पलाश-2, तेदु-1
68	383/1, 384/2	कोयलार-3, सागौन-2
69	383/2	संतरा-300 (पौधे/पेड़) रा0प्र0क0 18/अ-82/2012-13 अ0दि0 25/11/2014 की धारा-4 में संलग्न खसरे अनुसार 2 वर्ष के पेड़
70	383/5	संतरा-175 (पौधे/पेड़) रा0प्र0क0 18/अ-82/2012-13 अ0दि0 25/11/2014 की धारा-4 में संलग्न खसरे अनुसार 2 वर्ष के पेड़
71	383/7	संतरा-172 (पौधे/पेड़) रा0प्र0क0 18/अ-82/2012-13 अ0दि0 25/11/2014 की धारा-4 में संलग्न खसरे अनुसार संतरा पेड़ 160 नग 10 वर्ष, संतरा पेड़ 02 वर्ष एवं पारित अवार्ड में 68 वृक्षों का मुबावजा दिया गया है। अतः 172 छुटे हुये वृक्ष का अर्जन प्रस्तावित है।
72	384/5	महुआ-1, सागौन-10, अचार-1, करंजी-1
73	393	कच्चा कोठा-1, अचार-1, सागौन-1, मिलमा-1
74	258, 259	संतरा-600 (पौधे/पेड़), 5 मेरसिंग, पलाश-1 रा0प्र0क0 18/अ-82/2012-13 अ0दि0 25/11/2014 की धारा-4 में संलग्न खसरे अनुसार संतरा पौधे 600 नग 2 माह के
75	376	03.403
	योग :-	कुल रकबा-03.403 हेक्टर एवं कच्चा कोठा-8, कच्चे कुएँ-7, संतरा-1247 पौधे/पेड़, मिश्रित वृक्ष-341 परिसंपत्तियां

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-मोहगांव जलाशय के बांध निर्माण हेतु पूर्व में अर्जित की गयी भूमि में त्रुटिवश छूटी हुई परिसंपत्तियां एवं अधिहण से छूटी हुई निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-5658-भू-अर्जन-2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 अगस्त 2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/W&I/CR/DPR/Itarsi-Nagpur 3 rd Line/New Delhi, dated 02.09.2016 के अन्तर्गत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाइन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम-पाण्डुर्णा प0ह0न-51, ब.न.- 234, रा.निमं-पाण्डुर्णा, तहसील-पाण्डुर्णा	रकबा 0.048 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी-लाइन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्गा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल बैतूल के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2022

क्रमांक EF-REV16/0002/2022-SEC-7-7 :: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार जिला सागर की तहसील मालथौन की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील बांदरी निर्मित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.

"मध्य प्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्वविभाग को अग्रेषितकिए जा सकेंगे:-

अनुसूची

अनुक्रमांक	विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्तित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात तहसील एवं उसका मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील की सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	तहसील मालथौन मुख्यालय-मालथौन	तहसील मालथौन के पटवारी हल्का नंबर 21, पटवारी हल्का क्रमांक 32 से 34, व हल्का क्रमांक 39 से 62 तक कुल 28 हल्के अपवर्जित होंगे	तहसील मालथौन मुख्यालय मालथौन	वर्तमान तहसील मालथौन के हल्का क्रमांक 01 अटाकर्नेलगढ से 20 दुगाहाकलों तक, हल्का क्रमांक 22 गीधा से हल्का क्रमांक 31 नौनिया तक, हल्का क्रमांक 35 रजवांस से हल्का क्रमांक 38 बनखिरिया तक सम्मिलित करते हुए कुल-34 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे	उत्तर में- जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश पूर्व में- तहसील बंडा दक्षिण में - प्रस्तावित तहसील बांदरी, जिला सागर पश्चिम में- तहसील खुरई
2	-	-	तहसील बांदरी मुख्यालय-बांदरी	तहसील मालथौन के पटवारी हल्का नंबर 21, पटवारी हल्का क्रमांक 32 से 34, व हल्का क्रमांक 39 से 62 तक कुल 28 हल्के समाविष्ट होंगे	उत्तर में- तहसील मालथौन पूर्व में- तहसील बंडा, जिला सागर दक्षिण में -तहसील सागर, जिला सागर पश्चिम में- तहसील खुरई

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चितकरने की दृष्टि से किया जा रहा है क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुमन रायकवार अवर सचिव.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

फा. क्र. EP-34, 37 and 48-2019-चार-201

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2022

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिका संख्या 34/2019/चार के संबंध में पारित निर्णय बावत् भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 82/म.प्र./(34/2019)/2022 दिनांक 28.06.2022 एवं याचिका संख्या 37/2019 के संबंध में पारित निर्णय बावत् भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 82/म.प्र./(37/2019)/2022 दिनांक 18.07.2022 एवं याचिका संख्या 48/2019 के संबंध में पारित निर्णय बावत् भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 82/म.प्र./(48/2019)/2022 दिनांक 20.06.2022 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2022—9 भाद्रपद, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं० :- 82/म० प्र० / (34/2019) / 2022 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, 2019 की निर्वाचन याचिका सं० 34 में माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के दिनांक 28.06.2022 के निर्णय/आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,

हस्ता./-

(अमित कुमार)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 31st August, 2022—9 Bhadrapad, 1944 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82/MP/(34/2019)/2022 - In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgment/order dated 28.06.2022 of the Gwalior Bench of Hon'ble High Court in Election Petition No. 34 of 2019.

By order,

Sd./-

(AMIT KUMAR)

Secretary,

Election Commission of India.

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT GWALIOR
EP No. 34 of 2019**

(DEVASHISH JARARIYA Vs SMT. SANDHYA RAI)

Dated : 28-06-2022

Shri Manas Dubey, learned counsel for the petitioner.

Shri Alok Katare, learned counsel for Election Commission of India (ECI).

Shri N.K.Gupta, learned Senior Counsel with Shri Ravi Gupta, learned counsel for other respondent.

Heard on I.A.No.2872/2021 and I.A.No.1582/2022.


The above mentioned applications are being preferred by the ECI under Section 151 of CPC for release of EVM and VVPATs involved in the election of Member of the House of People (Lok Sabha) in April-May, 2019 Parliamentary Constituency of Bhind in which Polling Constituency No.2 is subject matter of dispute in present election petition primarily. According to counsel appearing for ECI, relevant EVMs and VVPATs as referred through tabulation in para-11 of application (vide I.A.No.2872/2021) are being kept in secured atmosphere at Government MJS College, Bhind. Now ECI as per their policy, constructed one warehouse at ITI Campus, Bhind in which all election related materials including EVMs and VVPATs would be stored and therefore, ECI wants transfer of these EVM/VVPATs from Government MJS College to warehouse constructed by ECI at ITI Campus, Bhind.

Counsel for the petitioner, Shri Manas Dubey has no objection to this proposition but intends to add his submissions to the extent that at the time of transfer of this EVM/VVPATs, presence of petitioner may be allowed for which prior notice be given so that petitioner may appear.

At this stage, counsel for ECI fairly submits that it shall ensure prior intimation to petitioner as well as contesting respondent and after giving due intimation to them in writing, transfer would take place.

Considering the submissions as referred above, instant applications are being considered and disposed of with a direction to the Election Commission of India to permit them to transfer the EVMs/VVPATs to warehouse so prepared for this purpose and while transferring said machines, presence of petitioner and respondent candidates with prior intimation to the petitioner and contesting respondent shall be given and thereafter, transfer shall be ensured in safe and secured manner. It is made clear that parties would not cause any hindrance in the transfer of EVM/VVPATs by the ECI and if they do not turn up after written intimation, then ECI shall be at liberty to proceed further regarding transfer.

With the aforesaid direction, applications are allowed and disposed of.



Sd/-
(ANAND PATHAK)
JUDGE

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001
नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2022—9 भाद्रपद, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं० :- 82/म० प्र० / (37/2019) /2022 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, 2019 की निर्वाचन याचिका सं० 37 में माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के दिनांक 18.07.2022 के निर्णय/आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है ।

आदेश से,
हस्ता./-
(अमित कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 31st Aughust, 2022—9 Bhadrapad, 1944 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82/MP/(37/2019)/2022 - In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgment/order dated 18.07.2022 of the Gwalior Bench of Hon'ble High Court in Election Petition No. 37 of 2019 .

By order,
Sd./-
(AMIT KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE RAJEEV KUMAR DUBEY

ON THE 18th OF JULY, 2022

ELECTION PETITION No. 37 of 2019

— between:—

RAJKUMAR SINGH CHAUHAN S/O HARISH
CHANDRA SINGH CHOUHAN , AGED ABOUT 48
YEARS, WARD NO. 3, HOUSE NO. 1, CIVIL LINES,
SIDHI (MADHYA PRADESH)

.....PETITIONER

(NONE FOR THE PETITIONER)

AND

RITI PATHAK W/O RAJNEESH PATHAK , AGED
ABOUT 41 YEARS, F-48, INFRONT OF FOREST
DEPARTMENT, KOTWALI ROAD (MADHYA
PRADESH)

.....RESPONDENT

(SHRI N.K. MISHRA, LEARNED COUNSEL FOR THE RESPONDENT)

*This appeal coming on for orders this day, the court has
said:*

ORDER

None for the petitioner.

Shri N.K. Mishra, learned counsel for the respondent no.1.

For the first time, this case was fixed for petitioner's evidence on 03.03.2022 but petitioner did not produce any evidence on the said date and sought time. On that day the case was adjourned for 07.04.2022. On 07.04.2022, petitioner again sought time to produce the evidence. On that day, the case was adjourned with the observation that no further adjournment shall be given on the next date of hearing and the case was fixed for 05.05.2022. On 05.05.2022 petitioner also did not produce any evidence and sought time and this Court again gave time to the petitioner with the observation that no further adjournment shall be given on the next date of hearing and the case was fixed for 23.06.2022. On 23.06.2022, petitioner was also not present and learned counsel for the petitioner submits that he has no instruction. On that this Court issued SPC to the petitioner.

Even then, today none is present for the petitioner, which shows that the petitioner is not interested to prosecute this petition.

So, the petition is dismissed for want of prosecution.

Sd/-
(RAJEEV KUMAR DUBEY)
JUDGE

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001
नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2022—9 भाद्रपद, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं० :- 82/म० प्र० / (48/2019) /2022 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, 2019 की निर्वाचन याचिका सं० 48 में माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के दिनांक 20.06.2022 के निर्णय/आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है ।

आदेश से,
हस्ता./-
(अमित कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 31st August, 2022—9 Bhadrapad, 1944 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82/MP/(48/2019)/2022 - In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgment/order dated 20.06.2022 of the Gwalior Bench of Hon'ble High Court in Election Petition No. 48 of 2019.

By order,
Sd./-
(AMIT KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE VIVEK AGARWAL

ON THE 20th OF JUNE, 2022

ELECTION PETITION No. 48 of 2019

Between:-

SIIRI RAJARAM TRIPATHI S/O LATE
SUNDERLAL TRIPATHI, AGED
ABOUT 66 YEARS, R/O 526-K, J.R.
BIRLA ROAD, SATNA (MADHYA
PRADESH)

.....PETITIONER

(BY SIIRI SANJAY AGRAWAL, LEARNED COUNSEL FOR
THE PETITIONER)

AND

GANESH SINGH S/O KAMALBHAN
SINGH, AGED ABOUT 26 YEARS, R/O
FRIENDS COLONY WARD NO. 13, S
ATNA POST OFFICE, BIRLA VIKASH
SATNA, TEHSIL RAJAHURAJNAGAR,
DISTRICT SATNA (MADHYA
PRADESH)

.....RESPONDENT'S
(BY S. PRISARTIYA NEMA, LEARNED COUNSEL FOR
THE RESPONDENT)

*This election petition coming on for hearing this day, the
court passed the following:*

ORDER

Shri Sanjay Agrawal fairly submits that his client has instructed him to withdraw this election petition. Accordingly, same is dismissed as withdrawn.

Sd/-
(VIVEK AGARWAL)
JUDGE